

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्दजी  
निवासी जैन धर्मशाला के पास  
सिरौही रोड तहसील पिण्डवाडा  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 57 वर्ष 2023

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
30.10.2023	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 04.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही के जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 तक देवा वल्द तेजा रावल व धनराज पुत्र श्री मोती जी महाजनसिंह 1/2 छगनलाल लल्लूराम पि. अनाजी 1/2 रावल के नाम पर खातेदारी में नाम दर्ज था। अपीलांत को संवत 2025 से 2070 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 04.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही के जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 तक देवा वल्द तेजा रावल व धनराज पुत्र श्री मोती जी महाजनसिंह 1/2 छगनलाल लल्लूराम पि. अनाजी 1/2 रावल के नाम पर खातेदारी में नाम दर्ज था। अपीलांत को संवत 2025 से 2070 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकॉर्ड/2023/1594 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा अपीलांत का मूल आवेदन ही तहसीलदार पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया था, परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा निर्धारित समयावधि में चाही गई सूचना अपीलांत को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही